

# नगर निगम, आगरा

## सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण प्रपत्र—क

(नगर निगम अधिनियम की धारा 207ए के अन्तर्गत)  
(नियम—7 देखें)

1. वार्ड का नाम.....भवन संख्या/नया.....  
मोहल्ले का नाम.....
2. भवन स्वामी/अध्यासी का नाम.....  
पिता/माता/पति का नाम.....  
वर्तमान पता : .....
3. निम्नांकित नक्शों में भवन/भूमि की जो स्थिति हो उसके अनुसार बॉक्स में (✓) सही का निशान लगायें :—  
**नोट :—** भवन के मुख्य द्वार के सामने स्थित मार्ग की चौड़ाई की गणना के लिए मान्य होगी।

भवन भूमि	एपार्टमेन्ट	आर.सी.सी./ आर.बी.सी. छत सहित पक्का मकान	अन्य पक्का भवन	कच्चा मकान	रिक्त भूमि/ भूखण्ड
(80 फुट) 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(40 से 80 फुट) 12 मी. से 24 मी. तक चौड़ी सड़क पर	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(40 फुट) 12 मी. से कम चौड़ी सड़क पर	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

मलिन बस्ती —

पक्का भवन

कच्चा भवन

### स्व अध्यासित भवन/भाग का विवरण :—

- 4क. सभी कमरों एवं आच्छादित (कवर्ड) बरामदों का कारपेट एरिया (आन्तरिक क्षेत्रफल) = वर्ग फुट  
4ख. सभी बालकोनी, कारीडोर, रसोई एवं स्टोर का कारपेट एरिया का 1/2 = वर्ग फुट  
4ग. गैरेज का कारपेट एरिया का 1/4 = वर्ग फुट  
4घ. कुल कारपेट एरिया ( 4क + 4ख + 4ग ) = वर्ग फुट

X ..... मासिक किराया दर  
कुल मासिक किराया = रूपया

## किराये पर भवन/भाग का वितरण :—

5क.	सभी कमरों एवं आच्छादित (कवर्ड) बरामदों का कारपेट एरिया (आन्तरिक क्षेत्रफल)	= वर्ग फुट
5ख.	सभी बालकोनी, कारीडोर, रसोई एवं स्टोर का कारपेट एरिया का 1/2	= वर्ग फुट
5ग.	गैरेज का कारपेट एरिया का 1/4	= वर्ग फुट
5घ.	कुल कारपेट एरिया ( 5क + 5ख + 5ग )	= वर्ग फुट
		= वर्ग फुट

$$\frac{X \dots \text{मासिक किराया दर}}{\text{कुल मासिक किराया}} = \underline{\text{रुपया}}$$

**नोट:**— बाथरूम, लेटरीन, पोर्टिको एवं सीड़ियों की कारपेट एरिया गणना में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

$$6\text{क.} \quad \text{स्वअध्यासित भवन/भाग का कारपेट एरिया का गृहकर} = \\ \dots \times 12 \times \dots \times 13 \div 100 = \text{रुपया} \dots$$

$$\text{कुल मासिक किराया (4घ.)} \times 12 \times \text{वार्षिक मूल्य} \times 13 \%$$

$$6\text{ख.} \quad \text{रिक्त भूखण्ड/प्लाट का क्षेत्रफल} = \dots \text{वर्गफुट} \times \dots \text{किराया दर} = \text{रुपया} \dots \\ \dots \times 12 \times \dots \times 13 \div 100 = \text{रुपया} \dots$$

$$\text{मासिक किराया} \quad \text{वार्षिक मूल्य} \\ 6\text{ग.} \quad (6\text{क}+6\text{ख}) \dots \text{कुल गृहकर} = \underline{\text{रुपया}}$$

$$7\text{क.} \quad \text{किराये पर भवन/भाग के कारपेट एरिया का गृहकर} \\ \dots \times 12 \times \dots \times 13 \div 100 = \text{रुपया} \dots$$

$$\text{कुल मासिक किराया (5घ.)} \times 12 \times \text{वार्षिक मूल्य} \times 13 \%$$

$$7\text{ख.} \quad \text{रिक्त भूखण्ड या प्लाट का क्षेत्रफल} = \dots \text{वर्गफुट} \times \dots = \text{रुपया} \dots \\ \dots \times 12 \times \dots \times 13 \div 100 = \text{रुपया} \dots$$

$$7\text{ग.} \quad (7\text{क}+7\text{ख}) \dots \text{कुल गृहकर} = \underline{\text{रुपया}}$$

8. भवन का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ

9. **वर्तमान समय भवन की स्थिति :**

	<input type="checkbox"/> 1 वर्ष से 10 वर्ष पुराना	<input type="checkbox"/> 10 वर्ष से 20 वर्ष पुराना	<input type="checkbox"/> 20 वर्ष से अधिक पुराना
<input type="checkbox"/> स्वअध्यासित भवन/भाग	(-) 25 प्रतिशत की छूट देय	(-) 32.5 प्रतिशत की छूट देय	(-) 40 प्रतिशत की छूट देय
<input type="checkbox"/> किराये पर भवन/भाग	(+) 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी	(+) 12.5 प्रतिशत की वृद्धि	कोई वृद्धि नहीं

यदि खाली भवन हो—  एक वर्ष से कम अवधि से  एक वर्ष से अधिक अवधि से

नोट— 1. एक वर्ष से कम भवन खाली होने की दशा में गृहकर देय होगा ।

उपरोक्त तालिका ( कम संख्या—9 ) के अनुसार गृहकर में छूट/वृद्धि की गणना—

#### 10. स्वअध्यासित भवन/भाग के लिए :—

10 क ..... **X** ..... ÷ 100 **X** रूपया.....

कुल गृहकर ( 6ग. ) छूट %

10 ख ..... (—) ..... = **रूपया**.....

कुल गृहकर ( 6ग. ) (—) 10 (क) की गणना से प्राप्त धनराशि

#### 11. किराया भवन/भाग के लिए :—

11 क. ..... **X** ..... ÷ 100 **X** रूपया.....

कुल गृहकर ( 7ग.) वृद्धि %

11 ख ..... (+) ..... = **रूपया**.....

कुल गृहकर ( 7ग.) (+) 11(क) की गणना से प्राप्त धनराशि

12. कुल देयकर 10(ख) + 11(ख) = **रूपया** ..... 30 सितम्बर के पूर्व कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट के पश्चात देय कर **रु** .....

- नोट:—
- स्वअध्यासित पूरे भवन की स्थिति में केवल 10(ख) की धनराशि देय होगी
  - किराये दारी पूरे भवन की स्थिति में केवल 11(ख) की धनराशि देय होगी
  - कुछ भाग स्वयं अध्यासित तथा कुछ भाग किरायेदारी की स्थिति में 10(ख)+11(ख) की धनराशि देय होगी ।

दिनांक ..... चैक संख्या/पे—आर्डर संख्या ..... बैंक का नाम .....

### सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हुँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये व्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है ।

अध्यासी/स्वामी नाम ..... हस्ताक्षर .....

स्थायी पता ..... फोन नं 0.....

अनु प्रमाणक साक्षी—

नाम ..... हस्ताक्षर ..... माता/पिता का नाम .....

पूरा पता .....